विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र

41/557, डा0 तुफैल अहमद मार्ग, लोहिया मजदूर भवन, नरही, लखनऊ – 226001

पत्र सं. – 504/संघर्ष 22.06.2025

प्रस्ताव

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में व्यापक जन आन्दोलन चलाया जायेगा :

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उप्र, संयुक्त किसान मोर्चा एवं उपभोक्ता मंचों के आह्वान पर 22 जून 2025 को लखनऊ में आयोजित देश की पहली संयुक्त ''विशाल बिजली महापंचायत'' में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के एकतरफा निर्णय के विरोध में निजीकरण का फैसला वापस होने तक अनवरत व्यापक जन आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया गया।

2. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के पहले निजी घरानों को सहूलियत देने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने बिजली टैरिफ में बेतहाशा वृद्धि का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजकर करोड़ों गरीब उपभोक्ताओं और किसानों को सकते में डाल दिया है।

- पॉवर कोरपोरशन के प्रस्ताव के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को अब 300 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 400 प्रति माह देना पड़ेगा।
- 100 यूनिट प्रति माह बिजली का उपभोग करने वाले 1 किलोवाट भार के उपभोक्ता को 660 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 840 प्रतिमाह, 200 यूनिट प्रति माह बिजली का उपभोग करने वाले 2 किलोवाट भार के उपभोक्ता को 1345 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 1830 रूपये प्रतिमाह, 300 यूनिट प्रतिमाह का बिजली का उपभोग करने वाले 3 किलोवाट भार के उपभोक्ता को 2055 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 2830 रूपये प्रतिमाह, 500 यूनिट प्रतिमाह का बिजली का उपभोग करने वाले 5 किलोवाट भार के उपभोक्ता को 3575 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 5000 रूपये प्रतिमाह और मात्र 200 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले 5 किलोवाट भार के उपभोक्ता को 1575 रूपये प्रति माह के स्थान पर 2400 रूपये प्रतिमाह देना होगा।
- बिजली दरों का यह नया टैरिफ गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं के लिए 3 रूपये प्रति यूनिट की जगह 4 रूपये प्रति यूनिट हो जायेगा।
- घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह नयी दरें रूपये 8.40 प्रति यूनिट से रूपये 12 प्रति यूनिट तक हो जायेगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मिलाकर बिजली दरें 13 रूपये प्रति यूनिट तक होंगी।

यह सब निजी घरानों के स्वागत में किया जा रहा है। ध्यान रहे सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली एक सेवा है जबकि कारपोरेट घरानों के लिए बिजली एक व्यवसाय है।

- आइए एक नजर निजी घरानों के बिजली व्यवसाय पर भी डाल लेते हैं।

मुम्बई में टाटा पॉवर और अडानी पॉवर के पास तथा कोलकाता में गोयनका ग्रुप के पास बिजली आपूर्ति है।

- जहां उत्तर प्रदेश में अभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की अधिकतम दर 6.50 रूपये प्रति यूनिट है वहीं निजी क्षेत्र में मुम्बई में अधिकतम दर 15.71 रूपये प्रति यूनिट है। कोलकाता में अधिकतम 9.21 रूपये प्रति यूनिट है।
- निजी क्षेत्र में मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली में उपभोक्ताओं को कई हिडेन चार्ज भी देने पड़ते हैं। मसलन दिल्ली में कर्मचारियों की पेन्शन के मद में 7 प्रतिशत अधिभार देना पड़ता है। इस प्रकार बिजली की दरें वस्तुतः और अधिक हो जाती हैं।

- उत्तर प्रदेश में बेहद गरीब लोग अत्यधिक कम आय होने के कारण कई बार समय से बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। उनकी स्थिति को देखते हुए सरकारी क्षेत्र में समय–समय पर एक मुश्त समाधान योजना लाई जाती है जिसका लाभ उठाकर बेहद गरीब लोग भुगतान करने में समर्थ हो जाते हैं। निजी क्षेत्र में एक मुश्त समाधान योजना जैसा कुछ नहीं होता।
- प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के बाद निजी कम्पनी भुगतान न मिलने पर बिजली घर से सीधे बिजली काट देगी और गरीब का घर अंधेरे में डूब जायेगा।
- उत्तर प्रदेश में 15 लाख 26 हजार 593 निजी नलकूप हैं। इनका औसत भार प्रति ट्यूबवेल 7.67 हॉर्स पॉवर है। इस प्रकार ट्यूबवेल का औसत भार लगभग 7.5 हॉर्स पॉवर है। निजी कम्पनी किसानों को कहीं पर भी मुफ्त बिजली नहीं देती है। निजीकरण के बाद एक गरीब किसान 7.5 हॉस पॉवर का ट्यूबवेल यदि प्रति दिन 10 घण्टे भी चलायेगा तो प्रतिमाह 1678 यूनिट बिजली की खपत होगी। निजीकरण के बाद औसत 10 रूपये प्रति यूनिट की दर से 7.5 हॉर्स पॉवर के ट्यूबवेल के किसान को इस प्रकार प्रतिमाह 16785 रूपये देना होगा जिसका भुगतान कोई भी गरीब किसान नहीं कर पायेगा।
- **निजीकरण का मतलब होगा उत्तर प्रदेश की शस्य श्यामला भूमि को रेगिस्तान में बदल देना।**

हमारा नारा है तमसो मा ज्योतिर्गमय। सरकारी क्षेत्र में बिजली अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। निजी क्षेत्र अंधेरे का संदेश लेकर आने वाला है। निजीकरण उत्तर प्रदेश को बिजली के स्वर्णिम युग से लालटेन युग में धकेलने की एक साजिश है। इसे किसान, मजदूर और आम उपभोक्ता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। घाटे के भ्रामक और झूठे आंकड़ों के आधार पर निजीकरण नहीं होने दिया जायेगा।

- **पॉवर कारपोरेशन घाटे के भ्रामक और झूठे आंकड़े देकर निजीकरण का तर्क दे रहा है।**
- उप्र में निजीकरण के नाम पर 01 अप्रैल 2010 को आगरा शहर की विद्युत व्यवस्था अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाईजी के नाम पर टोरेंट पॉवर कम्पनी को सौंपी गयी। इस प्रयोग से पॉवर कारपोरेशन को अरबों रूपये की क्षति हुई है और हो रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में पॉवर कारपोरेशन ने रूपये 5.55 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर टोरेंट कम्पनी को रूपये 4.36 प्रति यूनिट पर बेचा। लगभग 2300 मिलियन यूनिट बिजली बेचने में इस प्रकार पॉवर कारपोरेशन को वित्तीय वर्ष 2023–24 में लगभग 275 करोड़ रूपये की क्षति हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023–24 में आगरा शहर का औसत बिजली विक्रय टैरिफ रूपया 7.98 प्रति यूनिट है। इस प्रकार टोरेंट कम्पनी ने एक वर्ष में लगभग 800 करोड़ रूपये का मुनाफा कमा लिया। यदि आगरा शहर की बिजली व्यवस्था पॉवर कारपोरेशन के पास होती तो पॉवर कारपोरेशन को लगभग 1000 करोड़ रूपये का मुनाफा होता।
- पॉवर कारपोरेशन द्वारा विगत 14 वर्षों में खरीद की लागत से कम मूल्य पर टोरेंट कम्पनी को बिजली देने में लगभग 2434 करोड़ रूपये की क्षति हुई है। इस क्षति के अलावा आगरा के निजीकरण से पॉवर कारपोरेशन के राजस्व की क्षति कम से कम 7000 करोड़ रूपये की हो चुकी है।

  निजीकरण का यह मॉडल पूरी तरह से पॉवर कारपोरेशन और प्रदेश की जनता पर एक भारी वित्तीय बोझ है।
- 15 नवम्बर 1993 में ग्रेटर नोएडा की बिजली व्यवस्था गोयनका ग्रुप की नोएडा पॉवर कम्पनी को दी गयी थी। करार के अनुसार नोएडा पॉवर कम्पनी को अपना विद्युत उत्पादन गृह स्थापित करना था जो उसने आज तक नहीं किया। इसके अतिरिक्त नोएडा पॉवर कम्पनी पर उपभोक्ताओं का शोषण करने और करार की शर्तों का उल्लंघन करने के गम्भीर आरोप हैं।

  निजी क्षेत्र की नोएडा पॉवर कम्पनी ने उपभोक्ताओं से तीन वर्ष पर अधिक बिल की वसूली की है। शिकायत होने के बाद अब कम्पनी को इसे उपभोक्ताओं के बिल में समायोजित करने को मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में निजीकरण के इस विफल मॉडल को रद्द करने के बजाये इसे प्रदेश के 42 जनपदों में थोपने का क्या औचित्य है?

  उप्र सरकार नोएडा पॉवर कम्पनी का वितरण लाईसेंस समाप्त कराने हेतु मा. सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही है।

बिजली के निजीकरण का दूसरा प्रयोग उड़ीसा में 1999 में किया गया था। उड़ीसा में 1999 में एक वितरण कम्पनी का कार्य अमेरिका की एईएस कम्पनी को दिया गया और 3 वितरण कम्पनियों का काम रिलाइंस पॉवर को दिया गया था। वर्ष 2000 में उड़ीसा में सुपर साईक्लोन आने के बाद बिजली व्यवस्था का ढांचा ध्वस्त हो गया था।

अमेरिका की एईएस कम्पनी ने इसके पुनर्निमाण पर पैसा खर्च करने से मना कर दिया और एईएस कम्पनी 1 साल बाद ही वापस अमेरिका भाग गयी। इसके बाद इस वितरण कम्पनी का कार्य सरकारी नियंत्रण में आ गया और यहां अच्छा कार्य होने लगा।

- उड़ीसा की बाकी 3 वितरण कम्पनियों में रिलाइंस पॉवर कुछ भी सुधार नहीं कर पाई। उपभोक्ताओं का शोषण होता रहा और भ्रष्टाचार चरम पर था। इसके विरोध में उड़ीसा विद्युत नियामक आयोग में अपील की गयी और फरवरी 2015 में विद्युत नियामक आयोग ने तीनों कम्पनियों के लाईसेंस रद्द कर दिये तथा इन तीनों कम्पनियों को भी विद्युत नियामक आयोग ने टेकओवर कर लिया। एक प्रकार से यह तीनों कम्पनियां भी सरकारी नियंत्रण में आ गयी।
- 2015 से 2020 तक उड़ीसा की सभी विद्युत वितरण कम्पनियां सरकारी नियंत्रण में बहुत अच्छा काम करती रहीं। इस दौरान इन वितरण कम्पनियों में सरकार ने अरबों–खरबों रूपये का निवेश किया। जब उड़ीसा की विद्युत वितरण कम्पनियां बहुत अच्छे हालात में आ गयीं तब अचानक जून 2020 में चारों कम्पनियों को टाटा पॉवर को दे दिया गया। टाटा पावर द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण और कर्मचारियों के उत्पीड़न के समाचार आये दिन मिल रहे हैं। कर्मचारियों को विवश होकर आन्दोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है।

6. निजीकरण के अन्य प्रयोग अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाईजी के नाम पर महाराष्ट्र में भिवंडी, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर, मध्यप्रदेश में सांगर, उज्जैन, ग्वालियर, बिहार में भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर में प्रयोग किये गये जो पूरी तरह असफल रहे और इनको निरस्त करना पड़ा।

   निजीकरण के सभी मॉडल बिजली के क्षेत्र में विफल प्रयोग हैं। इन प्रयोगों को उप्र जैसे देश के सबसे बड़े प्रान्त में थोपने का कोई औचित्य नहीं है।

7. आगरा में जब 1 अप्रैल 2010 को आगरा की विद्युत वितरण व्यवस्था टोरेंट पॉवर कम्पनी को सौंपी गयी थी तब पॉवर कारपोरेशन का आगरा शहर का बिजली राजस्व का बकाया 2200 करोड़ रूपये था। करार के अनुसार टोरेंट पॉवर कम्पनी को यह राजस्व वसूल कर पॉवर कारपोरेशन को वापस करना था। इसके एवज में टोरेंट पॉवर कम्पनी को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि मिलनी थी। आज तक टोरेंट पॉवर कम्पनी ने पॉवर कारपोरेशन को यह 2200 करोड़ रूपये नहीं दिया है। टोरेंट कम्पनी यह धनराशि खा गयी।
8. उल्लेखनीय है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली राजस्व का बकाया 40962 करोड़ रूपये है और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली राजस्व का बकाया 24947 करोड़ रूपये है।

   यदि दुर्भाग्यवश इन दोनों विद्युत वितरण निगमों को निजी घरानों को सौंप दिया गया तो लगभग 66000 करोड़ रूपये का राजस्व निजी कम्पनियां वसूल लेंगी और पॉवर कारपोरेशन को कभी वापस नहीं करेंगी। यह कहा जा रहा है कि निजी कम्पनियों की नजर इसी 66000 करोड़ रूपये के राजस्व पर है।
9. भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण के लिए उप्र में 45 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं।

   ऐसा लगता है कि प्रबन्धन की हजारों करोड़ रूपये खर्च कर वितरण प्रणाली में सुधार के बाद इसे निजी घरानों को सौंपने की कोई सुनियोजित सांठ–गांठ है। जनता की इतनी बड़ी धनराशि खर्च करके उसे निजी क्षेत्र के हवाले कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं है।
10. वर्ष 2016–17 में एटी एण्ड सी हानियां 41 प्रतिशत थीं। वर्ष 2017 के बाद बिजली कर्मियों ने अथक परिश्रम कर बिजली व्यवस्था में लगातार सुधार किया। वित्तीय वर्ष 2023–24 में एटी एण्ड सी हानियां 16.5 प्रतिशत रह गयी हैं। आरडीएसएस योजना के बाद लाइन हानियां 15 प्रतिशत से भी नीचे आ जायेंगी। इसके बाद उप्र के विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का कोई औचित्य नहीं है।
11. समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी हुई है कि पीपीपी मॉडल के तहत निजी कम्पनियों को पूरे वितरण निगम की समस्त जनपदों की पूरी जमीन मात्र 1 रूपये प्रति वर्ष की लीज पर सौंप दी जायेगी। ध्यान रहे कि सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र को हस्तांतरित की जाने वाली जमीन 1 रूपये प्रति वर्ष के टोकन लीज पर दी जाती है। **निजी क्षेत्र को अरबों–खरबों रूपये की जमीन मात्र एक रूपये प्रति वर्ष की लीज पर सौंपना किसी भी तरह न्यायसंगत नहीं है।**

    - समाचार पत्रों से यह जानकारी भी हुई है कि विद्युत वितरण निगमों की रिजर्व प्राइस 1200 से 1600 करोड़ रूपये निर्धारित की गयी है जिसका तात्पर्य यह हुआ कि बिडिंग में यह रिजर्व प्राइस रहने के बाद अधिकतम लगभग 1600 करोड़ रूपये में इन विद्युत वितरण निगमों की सारी परिसम्पत्तियां निजी घरानों को सौंप दी जायेंगी।

- इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 131 में लिखा है कि जब सरकारी कम्पनी की परिसम्पत्तियां किसी व्यक्ति या गैर सरकारी कम्पनी को हस्तांरित की जायेंगी तो इसके पहले कम्पनी का रेवेन्यू पोटेन्सियल और परिसम्पत्तियों की फेयर वैल्यू का मूल्यांकन जरूरी है। इससे कम पर इसे निजी कम्पनी को नहीं दिया जाना चाहिए।
- उल्लेखनीय है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में अरबों–खरबों रूपये की बिजली की परिसम्पत्तियों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। सवाल यह उठता है कि इन परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन किये बगैर 1500 – 1600 करोड़ रूपये की रिजर्व प्राइस तय करना बहुत बड़ा घोटाला है।
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का राजस्व पोटेंशियल 50 हजार करोड़ रूपये से अधिक का है। इसके बावजूद इन दोनों निगमों को कौड़ियों के मोल बेचने की साजिश है।

12. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसलटेंट की नियुक्ति में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट (हितों के टकराव) के प्राविधान को हटाया गया है। यह सी.वी.सी. की गाइडलाइन्स के सर्वथा उल्लंघन में है। जिस प्रकार अवैध ढंग से मे. ग्रान्ट थॉर्न्टन को ट्रांजैक्शन कंसलटेंट नियुक्त किया गया है वह भी निजीकरण की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का एक ज्वलन्त उदाहरण है।
13. अवैध ढंग से नियुक्त कंसलटेंट मे. ग्रान्ट थॉर्न्टन की टीम पॉवर कारपोरेशन के शीर्ष प्रबन्धन एवं निदेशक वित्त के साथ मिली भगत में काम कर रही है। कंसलटेंट की रिपोर्ट के आधार पर पॉवर कारपोरेशन ने निजीकरण हेतु आर एफ पी डाक्यूमेंट उप्र राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेज दिये हैं। यह पता चला है कि नियामक आयोग ने इस रिपोर्ट पर अपनी संस्तुति/टिप्पणी पॉवर कारपोरेशन को भेज दी है। पॉवर कारपोरेशन द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की ए टी एण्ड सी हानियां 40 से 42 प्रतिशत दिखाई गयी हैं। उल्लेखनीय है कि उप्र के ऊर्जा मंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा द्वारा ट्विट कर बताया गया है कि वर्ष 2023–24 के अन्त में ए टी एण्ड सी हानियां 16.5 प्रतिशत रह गयी हैं। ऐसे में 40–42 प्रतिशत ए टी एण्ड सी हानियां दिखाकर निजीकरण का डाक्यूमेंट तैयार करना बहुत बड़े भ्रष्टाचार का संकेत है।
14. उल्लेखनीय है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि. एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. के अन्तर्गत आने वाले 42 जनपदों प्रदेश की सबसे गरीब जनता रहती है। निजीकरण के बाद 12–13 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदना इन गरीब लोगों के लिए नामुमकिन होगा। स्पष्ट है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण प्रदेश को लालटेन युग में ढकेल रहा है।
15. जहां तक किसानों का प्रश्न है किसानों ने प्रारम्भ से ही बिजली के निजीकरण का हर प्रदेश में विरोध किया है राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के मुख्य मांग पत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेण्डमेंट बिल की वापसी और बिजली के निजीकरण का विरोध सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहा है। उत्तर प्रदेश में किये जा रहे बिजली के निजीकरण का सभी किसान संगठित होकर पुरजोर विरोध करेंगे।
16. निजीकरण की दृष्टि से अत्यन्त अल्प वेतन भोगी निविदा/संविदा कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा रहा है। मार्च 2023 की सांकेतिक हड़ताल के बाद ऊर्जा मंत्री से हुए समझौते के बावजूद हटाये गये सैकड़ों संविदा कर्मियों को अभी तक ड्यूटी पर नहीं लिया गया है। डाउनसाईजिंग के नाम पर 40 प्रतिशत संविदा कर्मी हटाये जा रहे हैं और 55 वर्ष की आयु के बाद संविदा कर्मी हटाये जा रहे हैं। यह सब निजी घरानों को सुविधा देने के लिए किया जा रहा है।
17. **विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उप्र, संयुक्त किसान मोर्चा एवं उपभोक्ता मंचों की यह बिजली महापंचायत प्रस्तावित करती है :–**

- **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय व्यापक जनहित में एवं किसानों, बिजली उपभोक्ताओं तथा बिजली कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वापस लिया जाये।**
- **राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बिजली सार्वजनिक क्षेत्र में रहना आवश्यक है। निजीकरण के बाद बहुराष्ट्रीय निजी कम्पनियों के आने से देश की बिजली ग्रिड सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। मई 2025 में आपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे भारतीय सेना का पराक्रम और कुशलता तो थी ही साथ ही जम्मू कश्मीर में बिजली सरकारी क्षेत्र में होने के कारण कोई व्यवधान नहीं आया। ड्रोन से बमबारी के बीच भी सीमावर्ती इलाकों में सरकारी क्षेत्र के बिजली कर्मियों ने बिजली व्यवस्था को बनाये रखा।**

- निजीकरण की दृष्टि से बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों को हटाये जाने के आदेश निरस्त किये जायें। मार्च 2023 में सांकेतिक हड़ताल के दौरान हटाये गये सभी संविदा कर्मियों को ऊर्जा मंत्री के 19 मार्च 2023 की घोषणा एवं समझौते के पालन में तत्काल काम पर रखा जाये। ऊर्जा मंत्री के 19 मार्च की घोषणा व समझौते के क्रियान्वयन में बिजली कर्मियों पर की गयी उत्पीड़न की समस्त कार्यवाहियां वापस ली जायें।

18. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उप्र, संयुक्त किसान मोर्चा एवं उपभोक्ता मंचों की बिजली महापंचायत यह निर्णय लेती है कि :–

- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के निर्णय के विरोध में बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियन्ताओं द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन का किसान, उपभोक्ता, श्रम संघ, शिक्षक संघ पूरी तरह सक्रिय समर्थन करेंगे। बिजली कर्मियों के आन्दोलन में सभी किसान और उपभोक्ता संगठन अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
- उप्र में किये जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में 02 जूलाई 2025 को देश के सभी जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन किये जायेंगे जिसमें बिजली कर्मचारियों के साथ सभी किसान और उपभोक्ता संगठन सम्मिलित होंगे।
- उत्तर प्रदेश में किये जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में 09 जुलाई 2025 को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी जिसका सभी किसान और उपभोक्ता संगठन पुरजोर समर्थन करेंगे। उत्तर प्रदेश में इसके समर्थन में सभी जनपदों में व्यापक विरोध प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे।
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का टेण्डर जारी होने पर देश भर में 27 लाख बिजली कर्मचारियों की एक दिन की सांकेतिक हड़ताल होगी और इसके समर्थन में सभी किसान और उपभोक्ता संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे।
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के टेण्डर जारी होते ही उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियन्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार एवं सामूहिक जेल भरो आन्दोलन प्रारम्भ किया जायेगा जिसका किसान और उपभोक्ता संगठन पुरजोर समर्थन करेंगे और बिजली कर्मियों के साथ सड़क पर निकल कर व्यापक जन आन्दोलन प्रारम्भ कर देगें।

19. यह भी निर्णय लिया गया है कि "उक्त शांतिपूर्ण ध्यानाकर्षण कार्यक्रमों के कारण किसी भी कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियन्ता पर कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की गयी तो उसी समय समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मी सीधी कार्यवाही करने हेतु बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी"। उत्पीड़न के विरोध में सभी संगठन बिजली कर्मियों का सक्रिय समर्थन करेंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन, उप्र
संयुक्त किसान मोर्चा
उप्र राज्य विद्युत परिषद उपभोक्ता परिषद
समस्त श्रम संघ/शिक्षक संगठन/सामाजिक संगठन

प्रतिलिपि प्रतिष्ठा में :–

1. मा. मुख्यमंत्री, उप्र सरकार, लखनऊ।
2. मा. ऊर्जा मंत्री, उप्र सरकार, लखनऊ।
3. मुख्य सचिव, उप्र शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उप्र शासन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, उप्रपाकालि/उप्रराविउनिलि/उप्रपाट्राकालि, लखनऊ।
6. श्रमायुक्त, श्रम विभाग, कानपुर।
7. उपश्रमायुक्त, श्रम विभाग, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ।